

सं. ई-12012/1/2019-हिन्दी-डीजीएचएस | 956-990

भारत सरकार  
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय  
(हिन्दी अनुभाग)


निर्माण भवड़ा, नई दिल्ली  
दिनांक : 3/01/2020

विषय: वर्ष 2020 में केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा चलाये जाने वाले हिन्दी शब्द संसाधन/हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि के अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में ।

कृपया उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के दिनांक 23.10.2019 के पत्र सं. 19013/1/2017/केहिप्रसं./871-1670 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ लें जिसके तहत केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वर्ष 2020 में चलाये जाने वाले हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी शब्द संसाधन/हिन्दी टंकण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन संबंधी सूचना भेजी है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम नई दिल्ली के साथ-साथ कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और मुंबई में चलाये जाएंगे, जिसकी विस्तृत जानकारी उक्त संदर्भित पत्र में दी गयी है।

महानिदेशालय के सभी अनुभागों/प्रकोष्ठों और सभी नियंत्रणाधीन कार्यालयों से अनुरोध है कि उपर्युक्त उल्लिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों का नामांकन विहित प्रपत्र में प्राथमिकता के आधार पर भेजना सुनिश्चित करें ।

संलग्नक: यथोपरि

  
(लक्ष्मी गर्ग)  
सहायक निदेशक (राजभाषा)

अनुभाग अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के समस्त अनुभाग/प्रभाग/प्रकोष्ठ

प्रतिलिपि:

1. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ ।
2. निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ।
3. सुश्री सुमन लाल, संयुक्त निदेशक, 2 ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली- 110011 को उनके दिनांक 23.10.2019 के पत्र सं. 19013/1/2017/केहिप्रसं./871-1670 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
4. प्रभारी, आईटी प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।



सं. 19013/1/2017/केहिप्रसं/871-1670

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

दिनांक 23 अक्टूबर, 2019

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय
2. विभागाध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/उद्यम/स्वायत्तशासी तथा सांविधिक निकाय/राष्ट्रीयकृत बैंक आदि
3. राजभाषा सेवा के सभी अधिकारी

विषय : संघ सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों, निगमों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वर्ष 2020 में चलाए जाने वाले हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम।

महोदय/महोदया,

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत वर्ष 2020 में हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने हैं। हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:-

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

हिंदी आशुलिपि

पाठ्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	पात्रता	हिंदी में योग्यता
हिंदी आशुलिपि	अनुलग्नक 1 के अनुसार	केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। <b>अनिवार्य:</b> सभी वर्ग के अंग्रेजी आशुलिपिकों, वैयक्तिक सहायकों, निजी सचिवों हेतु। <b>स्वैच्छिक:</b> अवर श्रेणी लिपिकों/कनिष्ठ सचिवालय सहायकों/टंककों हेतु *	हिंदी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्राज आदि।

\* हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण जानने वाले अवर श्रेणी लिपिकों/कनिष्ठ सचिवालय सहायकों/टंककों को भी हिंदी आशुलिपि कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामांकित किया जा सकता है और कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर प्रवेश दिया जा सकता है, बशर्ते संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि उस कर्मचारी की हिंदी आशुलिपि में प्रवीणता का कार्यालय के कार्य में उपयोग किए जाने की संभावना है। ऐसे कर्मचारी हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ के हकदार नहीं होंगे।

TSG/हिंदी/प्रसं  
प्र.प.ए.निका  
म.सं.मा  
08/11/19

2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली/2-A, Prithvi Raj Road, New Delhi-110011 टैलीफैक्स/Telefax 011-23793517/23018740

ईमेल/e-mail : tsgahan-cthi-dol@gov.in वेबसाइट/Website : http://cthi.rajbhasha.gov.in

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

पाठ्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	पात्रता	हिंदी में योग्यता
हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण	अनुलग्नक 1 के अनुसार	<p>केवल उन्हीं अधिकारियों/ कर्मचारियों को कंप्यूटर पर हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।</p> <p><b>अनिवार्य :</b></p> <p>सभी अंग्रेजी टंककों/कनिष्ठ सचिवालय सहायकों/ अवर श्रेणी लिपिकों, डाक विभाग में डाक सहायकों एवं कार्यालय सहायकों, रेल डाक सेवा में छंटाई सहायकों, कार्यालय सहायकों, दूरसंचार विभाग में दूरसंचार सहायकों, आयकर तथा कस्टम एवं एक्साइज विभाग में कर सहायकों, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों आदि के लिए, इसके अलावा इसमें ग्रुप 'ग' के वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो इसी प्रकृति का कार्य करते हैं और जिनके भिन्न पदनाम और भिन्न वेतनमान हैं।</p> <p><b>स्वैच्छिक :</b></p> <p>1. वर्तमान में सहायकों/सहायक अनुभाग अधिकारियों, उच्च (प्रवर) श्रेणी लिपिकों/वरिष्ठ सचिवालय सहायकों तथा हिंदी अनुवादकों/कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों/वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, अतः इन्हें हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और इन्हें कक्षाओं में रिक्त स्थान होने पर प्रवेश दिया जा सकता है।</p> <p>2. सभी वर्ग के अधिकारियों, जिनके लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, किंतु उपयोगी है, को स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और स्थान उपलब्ध होने पर उन्हें कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है, किंतु वर्तमान में वे अधिकारी प्रशिक्षण के उपरांत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा पास करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार नहीं होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नगद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि।</p>	हिंदी के साथ मिडिल (आठवीं) या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण आदि।

- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एक समान हैं, परंतु ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अल्पकालिक गहन होने के कारण इनकी नियमित रूप से पूर्णकालिक कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रतिदिन प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

#### उप संस्थान

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के अतिरिक्त कोलकाता, हैदराबाद, बंगलुरु तथा मुंबई उप संस्थानों में भी चलाए जाते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

#### प्रवेश का आधार

- पाठ्यक्रम में प्रवेश "प्रथम आओ, प्रथम पाओ" के आधार पर दिया जाएगा।

#### वित्तीय प्रोत्साहन

- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षा पास करने पर, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है। जिन आशुलिपिकों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें हिंदी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर दो वेतनवृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा।
- राजपत्रित आशुलिपिकों को 75 प्रतिशत एवं अराजपत्रित आशुलिपिकों को 70 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा।
- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर अधोलिखित तालिका के अनुसार नगद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनका भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है:-

#### हिंदी आशुलिपि

1	95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 2400/-
2	92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 1600/-
3	88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 800/-

#### हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

1	97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 2400/-
2	95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 1600/-
3	90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 800/-

#### परीक्षा शुल्क

- ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निःशुल्क हैं, किंतु केंद्र सरकार के निगमों/निकायों/उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि को प्रति कर्मचारी ₹100/- की दर से परीक्षा शुल्क देना होगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान "उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना", नई दिल्ली/Deputy Director (Exam.), Hindi Teaching Scheme, New Delhi को देय होना चाहिए।

### छात्रावास

- नई दिल्ली स्थित संस्थान में सीमित संख्या में प्रशिक्षार्थियों के ठहरने के लिए छात्रावास की व्यवस्था है, लेकिन नई दिल्ली से बाहर स्थित उप संस्थानों में छात्रावास की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए वहाँ प्रशिक्षार्थियों को अपने ठहरने आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

### नामांकन विधि

- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली तथा कोलकाता, हैदराबाद, बंगलुरु एवं मुंबई स्थित उप संस्थानों के पते अनुलग्नक-II में दिए गए हैं।
- अनुरोध है कि अपने कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम यथाशीघ्र इस कार्यालय को तथा अपने क्षेत्र में स्थित उप संस्थान के प्रभारी सहायक निदेशक (ट/आ) को सीधे भिजवाने का कष्ट करें। कृपया उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करें जिन्हें पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निश्चित रूप से कार्यमुक्त किया जा सके।
- पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद किसी भी परिस्थिति में कर्मचारी को सत्र के मध्य में कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। कृपया ध्यान रखें कि संबंधित केंद्र के सहायक निदेशक से पुष्टि प्राप्त होने पर ही अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए।
- इस संबंध में पत्र व्यवहार करते समय अपने कार्यालय का पूरा पता, दूरभाष संख्या और email का पता अवश्य लिखें, जिससे संपर्क करने में इस कार्यालय को सुविधा हो।

### विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस परिपत्र को सभी संबद्ध कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने का कष्ट करें।
- यह सुनिश्चित करना संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है कि कार्मिकों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए, नामित कर्मचारी कक्षाओं में निश्चित रूप से प्रवेश लें, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें और अनिवार्य रूप से परीक्षा में भी सम्मिलित हों ताकि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग हो सके और निर्धारित समय में प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।
- प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी ई-मेल [tsgahan-cthi-dol@gov.in](mailto:tsgahan-cthi-dol@gov.in) द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है।

भवदीया,



17.10.19  
(सुमन लाल)

संयुक्त निदेशक/विभागाध्यक्ष

पृष्ठांकन संख्या-19013/1/2017-केहिप्रसं/

दिनांक :

➤ केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एक प्रतिशतमी हैंसूचकतु एषं प्रशिक्षणक फलवृत्तई देनु-पेकेरिक्त गहन होने के कारण इनकी नियमित रूप से पूर्णकालिक 1.कक्षाएं सयिमेजिसजकीपत्राके हैरिइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों मेंअभिसिदिभमतः गृह.उठ बजस, संसर्वि.सि.१0 बजन, तक प्रशिक्षणकेंद्रे 14000प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

2. संयुक्त सचिव (राजभाषा) के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, नई उप संस्थान दिल्ली-110001.

3. हिंदीदेशक (संसाधन/हिंदी टंकण/आशुलिपि) गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, नई दिल्ली-110001 के द्वारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली में चलाए जाते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

5. निदेशक (अनुसंधान), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, प्रवेश का आर्धार दिल्ली-110001.

6. पाठ्यक्रम निदेशक (प्रथम), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.

निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।

8. हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षा पास करने पर, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को 9. निर्धारित संयुक्त प्रशिक्षण पर भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001 में आशुलिपिकों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें हिंदी आशुलिपि की परीक्षा पास करने के लिए दो वर्षों के बराबर वयवक्तिक घंटे दिए जाएंगे।

10. निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली।

11. संयुक्त निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली।

12. राजपत्रिक अतिरिक्त अधिकारियों को नवंबर 2017 में प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए अतिरिक्त अधिकारियों को नई दिल्ली में आशुलिपि परीक्षा पास करने पर ही वयवक्तिक वेतन दिया जाएगा।

13. उप निदेशक, परीक्षा/मध्योत्तर/पूर्व/पूर्वोत्तर/दक्षिण/पश्चिम क्षेत्र, नई दिल्ली/कोलकाता/गुवाहाटी/चेन्नै तथा हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर 14. अधोलिखित निकायों के अनुसार नगद भुगतान प्रदान किए जाने हैं, जिनका भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है।

15. उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना, आर.के. पुरम, नई दिल्ली।

हिंदी आशुलिपि सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) एवं नोडल अधिकारी (बैंबसाइट अपडेट) अनुसंधान एवं विश्लेषण 1. 95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर ₹ 2400/- एकक, के.हि.प्र.सं., नई दिल्ली को इस निदेश के साथ कि वे प्रशिक्षण कार्यक्रम की सचना राजभाषा विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

2. 92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर ₹ 1600/-

3. 88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर ₹ 800/-

18. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, कोलकाता/बंगलुरु/हदराबाद तथा मुंबई।

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) अधिकारी, हिंदी शिक्षण योजना।

201	सभी कर्मचारी इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 2400/-
2	95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 1600/-
3	90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 800/-

(सुमन लाल)

संयुक्त निदेशक/विभागाध्यक्ष

परीक्षा शुल्क

ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निःशुल्क हैं, किंतु केंद्र सरकार के निगमों/निकायों/उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि को प्रति कर्मचारी ₹100/- की दर से परीक्षा शुल्क देना होगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान "उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना", नई दिल्ली/Deputy Director (Exam.), Hindi Teaching Scheme, New Delhi को देय होना चाहिए।

**केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान  
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय**

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली तथा कोलकाता, हैदराबाद, बंगलुरु एवं मुंबई स्थित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थानों में दिनांक 16.01.2020 से 11.12.2020 तक आयोजित किए जाने वाले हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण।

**केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम**

**I-हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण**

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां	प्रशिक्षण केंद्र का पता
1.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	16.01.2020 से 12.03.2020	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान 2-ए, पृथ्वीराज रोड, (जे. एंड के. हाउस के सामने), नई दिल्ली -110 011
2.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	13.03.2020 से 13.05.2020	
3.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	02.06.2020 से 28.07.2020	
4.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	19.08.2020 से 14.10.2020	
5.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	15.10.2020 से 11.12.2020	

**II-हिंदी आशुलिपि**

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां	प्रशिक्षण केंद्र का पता
1.	हिंदी आशुलिपि	80 कार्यदिवस	19.08.2020 से 11.12.2020	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान 2-ए, पृथ्वीराज रोड, (जे. एंड के. हाउस के सामने), नई दिल्ली -110 011

**कोलकाता एवं हैदराबाद स्थित उप संस्थानों में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम**

**I-हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण**

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां
1.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	16.01.2020 से 12.03.2020
2.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	13.03.2020 से 13.05.2020
3.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	02.06.2020 से 28.07.2020

**II-हिंदी आशुलिपि**

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां
1.	हिंदी आशुलिपि	80 कार्यदिवस	19.08.2020 से 11.12.2020

**मुंबई एवं बंगलुरु स्थित उप संस्थानों में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम**

**हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण**

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां
1.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	16.01.2020 से 12.03.2020
2.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	13.03.2020 से 13.05.2020
3.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	02.06.2020 से 28.07.2020
4.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	19.08.2020 से 14.10.2020
5.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	15.10.2020 से 11.12.2020



1. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) दूरभाष 011-23793517  
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान फैंक्स 011-23018740  
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय E-mail tsgahan-cthi-dol@gov.in  
2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली 110 011

उप संस्थानों के पते

1. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) दूरभाष 033-22304062  
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थान,  
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,  
कमरा नंबर-30, तीसरा तल, कौंसिल हाऊस स्ट्रीट,  
कोलकाता-700 001
2. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) दूरभाष 022-27572705/275727060  
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थान, फैंक्स 022-27565417  
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,  
केंद्रीय सदन, छठी मंजिल, 'सी' विंग 601,  
सेक्टर-10, सीवीडी, बेलापुर,  
नवी मुंबई-400 614
3. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) दूरभाष 040-24767755/27532299/27537211  
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थान, फैंक्स 040-27538866  
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,  
चौथा तल, कमरा नंबर-403,  
सी.जी.ओ. टॉवर्स, कवाड़ीगुड़ा,  
सिकंदराबाद-500 080
4. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) दूरभाष 080-25537087  
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थान,  
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,  
'बी' विंग, 5<sup>वां</sup> तल,  
केंद्रीय सदन, कोरमंगला,  
बेंगलुरु - 560034

## Annexure II

1. Assistant Director (Typing/Shorthand)  
Central Hindi Training Institute,  
Deptt. Of Official Language,  
Ministry of Home Affairs,  
2 A, Prithvi Raj Road,  
New Delhi-110 011  
Tel. 011-23793517  
Fax. 011-23018740  
E-mail [tsgahan-ctti-dol@gov.in](mailto:tsgahan-ctti-dol@gov.in)

### Addresses of Sub Institute

1. Assistant Director (Typing/Shorthand)  
Central Hindi Training Sub-Institute,  
Deptt. Of Official Language,  
Ministry of Home Affairs,  
Room No. 30, 3<sup>rd</sup> Floor,  
Council House Street,  
Kolkata-700 001  
Tel. 033-22304062
2. Assistant Director (Typing/Shorthand)  
Central Hindi Training Sub-Institute,  
Deptt. Of Official Language,  
Ministry of Home Affairs,  
Kendriya Sadan, 6<sup>th</sup> Floor,  
'C' Wing, Sector-10,  
C.B.D. Belapur, Navi Mumbai-400 614  
Tel. 022-27572705/27572706  
Fax. 022-27565417
3. Assistant Director (Typing/Shorthand)  
Central Hindi Training Sub-Institute,  
Deptt. Of Official Language,  
Ministry of Home Affairs,  
4th Floor, Room No.403,  
CGO Towers, Kawadiguda,  
Secunderabad-500 080  
Tel.040 24767755/27532299/27537211  
Fax. 040-27538866
4. Assistant Director (Typing/Shorthand)  
Central Hindi Training Sub-Institute,  
Deptt. Of Official Language,  
Ministry of Home Affairs,  
'B' Wing, 5th Floor,  
Kendriya Sadan, Kormangla,  
**Bengaluru-560 034**  
Tel. 080-25537087